



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-02092026-275921
CG-WB-E-02092026-275921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4617]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4617]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4804(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20च की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पंचाटकर्ता/ मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में कार्य करने के लिए सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	किमी 23/17-19 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 18 के स्थान पर नालपुर-बौरिया रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।	पश्चिम बंगाल	

[फा. स. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी/जीआरसी/ लेवल क्रॉसिंग संख्या 18 पर आरओबी /एसआरपी/5]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Eastern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**Kolkata, the 28th August, 2026

S.O. 4804(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column(4) of the Table below to act as **Arbitrator** for the public purpose in the State mentioned in column(3) in respect of the Special Railway Project as mentioned in column(2) of the Table below with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of the Special Railway Project	State	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Construction of Nalpur-Bauria ROB in lieu of LC No.18 at Km.23/17-19.	West Bengal	Divisional Commissioner, Presidency Division.

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C/GRC/ROB at LC no.18/SRP/5]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer (Con.)